**राजस्थान सरकार**
**वित्त विभाग**
**(नियम अनुभाग)**

क्रमांकः प. 6 (65)वित्त/नियम/09 पार्ट                    दिनांकः 28 DEC 2016

**<u>परिपत्र</u>**

**विषयः—** राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों /बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कार्मिको को एड—हॉक बोनस भुगतान के संबंध में।

**संदर्भः—** वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ. 1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट—I दिनांक
17.02.2007

उपरोक्त संदर्भित परिपत्र में विपरीत प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते तथा बोनस/एक्स—ग्रेशिया के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं:—

"(vii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान कर्मचारियों को वे ही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो पैतृक संस्थान में प्राप्त कर रहे थे अथवा सरकार में देय हों (जो भी कम हों) परन्तु उसे ऐसे अतरिक्त भत्ते/सुविधाएं देय नहीं होंगी जो उसे पैतृक संस्थान में प्राप्त थी परन्तु राज्य सरकार में उसके समकक्ष कर्मचारी को देय नहीं हों।

(Xii) ऐसे कर्मचारियों को विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) के दौरान पैतृक संस्थान से बोनस /एक्स—ग्रेशिया का भुगतान नहीं किया जायेगा।"

विभिन्न प्रशासनिक विभागों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को एड—हॉक बोनस के भुगतान के संबंध में जारी आदेश दिनांक 17.10.2016 के क्रम में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को एड—हॉक बोनस के भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन हेतु प्रकरण संदर्भित किए हैं।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत संबंधित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बनता है, यदि पैतृक विभाग द्वारा एक्स—ग्रेशिया/बोनस का भुगतान विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को किया गया हो, विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों ने उक्त अवधि में पैतृक विभाग से कोई एक्स—ग्रेशिया/बोनस प्राप्त नहीं किया हो तथा वे संबंधित वर्ष में राज्य सरकार द्वारा जारी एड—हॉक बोनस संबंधी आदेश की अन्य शर्तों को पूरा करते हों। अतः यदि कतिपय विभागों में उक्त प्रावधान के विरूद्ध विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को एड—हॉक बोनस का भुगतान किया गया हो तो उसकी रिकवरी किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

26/XII

**(नवीन महाजन)**
**शासन सचिव, वित्त (बजट)**

D:\OFFICE\WORD_FILES\MEMORANDUM HINDI.docx

**प्रतिलिपिः–**

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठि शासन सचिव।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडिफिकेशन)।
12. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग

**प्रतिलिपि सूचनार्थः**

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(कीर्ति जैन)
**संयुक्त शासन सचिव–II**

(RSR - 29/2016)